विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 240/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक : 13 फरवरी, 2025

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के परिपत्र संख्या : 188/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, दिनांक 09 फरवरी, 2025 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि असरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये दिनांक 13 फरवरी, 2025 को की गयी शलाका में सफल एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य किये गये निम्नलिखित असरकारी संकल्पों को सदन में प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी मदें उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 18 फरवरी, 2025 से प्रारम्भ हो रहे सत्र में असरकारी संकल्पों हेतु सदन की कार्य-सूची में यथासमय सम्मिलित की जायेंगी :-

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	संकल्प
1	2	3
1	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद बदायूं के नगर पालिका परिषद्, दातागंज में जाम से मुक्ति हेतु बाईपास तथा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाय।''
2	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद रायबरेली के पौराणिक तीर्थस्थलों तथा पौराणिक महत्व के स्थलों को सरकार द्वारा मुख्य मंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल करते हुये इन स्थलों को पर्यटन के रूप में पौराणिक महत्व के स्थल के समकक्ष विकसित किया जाय।''
3	श्री प्रदीप कुमार यादव	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-203, दिबियापुर में अछल्दा रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाय।''
4	डॉ0 रागिनी	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महिलाओं को विभिन्न कलाओं में निपुण कराने के लिए कौशल विकास संस्थान की स्थापना करायी जाय।''

1	2	3
5	डॉ0 पल्लवी पटेल	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के सिराथू तहसील में कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना करायी जाय।''

2-विगत सत्रों के चर्चाधीन निम्नलिखित असरकारी संकल्पों से सम्बन्धित मदों को विधान सभा में असरकारी संकल्पों हेतु उपलब्ध होने वाले प्रथम एवं क्रमिक असरकारी दिवसों को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-25 के परन्तुक के अधीन उपर्युक्त संकल्पों पर अग्रेता मिलेगी तथा तद्नुसार उन्हें उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा :-

क्रम-सं0	सदस्य का नाम	संकल्प
1	ई0 सचिन यादव	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि तहसील जसराना के कस्बा एका की सीएचसी केन्द्र को उच्चीकृत कर सौ शैय्या अस्पताल बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।''
2	श्री राम अवतार सिंह सैनी	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर स्थित ग्राम पंचायत ताजपुर को नगर पंचायत बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाये।''
3	श्री जवाहर लाल राजपूत	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बुन्देलखण्ड में संचालित स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों/महिलाओं एवं अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु बलनी डेयरी के उत्पादों के उत्पादन स्थानीय स्तर पर भी सुनिश्चित कराया जाये।''
4	डा0 आर0 के0 वर्मा	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के युवाओं का रोजगार के अभाव में हो रहे पलायन को रोकने हेतु प्रतापगढ़ में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करायी जाये।''

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 240(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण एवं समस्त मा0 मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के निजी सचिवों को मा0 मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण एवं समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री की सूचनार्थ,

2-माननीय संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मंत्री की सूचनार्थ,

3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,

5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1,

6-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/नगर विकास/औद्योगिक विकास/सूक्ष्म लघु, एवं मध्यम उद्योग/लोक निर्माण/पर्यटन एवं संस्कृति विभाग।

बिपेन्द्र कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 265 विधान सभा (415)-14-02-2025-500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 188/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022

लखनऊ : दिनांक 09 फरवरी, 2025

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 185/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2022, दिनांक 09 फरवरी, 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष 2025 का प्रथम सत्र दिनांक 18 फरवरी, 2025 से आहूत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलहवां संस्करण) के निदेश संख्या-6 के अनुसार सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को संकल्प तथा उसके बाद उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को असरकारी विधेयक लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2025 को उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु शलाका माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या-8 को शिथिल करते हुए गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को तथा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को लिये जाने वाले असरकारी विधेयकों हेतु शलाका शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2025 को अपराह्न 4:30 बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में की जायेगी। असरकारी संकल्पों/विधेयकों हेतु की जाने वाली शलाका के लिये सूचनाएं क्रमशः दिनांक 13 व 14 फरवरी, 2025 को अपराह्न 4:00 बजे तक दी जा सकेंगी। शलाका के समय कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित रह सकेंगे।

अतएव, आप यदि चाहें तो, अपने असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचनाएं क्रमशः दिनांक 13 व 14 फरवरी, 2025 को अपराह्न 4:00 बजे तक इस सचिवालय में आनलाइन/लिखित दे सकते हैं। उक्त शलाका के लिये किसी सदस्य से प्राप्त एक से अधिक असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचना ग्राह्य नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 188(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिपेन्द्र कुमार द्विवेदी,

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0-222 विधान सभा (362)-09-02-2025-500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।